

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोप्ता

पत्रसंख्या—एन०ओ०सी०/एफ०एस०/२०२१ - (८४८-५२)

दिनांक:—दिसम्बर २५, २०२१

सेवामें,

डा० सर्वेश कुमार शुक्ला,  
मेसर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,  
ग्राम—सबलापुर एवं ग्राम—चेतरा, परगना फखरपुर,  
तहसील, महसी, बहराइच।

विषय:—खसरा नं० २२७ मि०, २२९ एवं २३० ग्राम—सबलापुर एण्ड ६४४, ग्राम—चेतरा, परगना, फखरपुर तहसील महसी जनपद—बहराइच में प्रस्तावित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भवन के प्रस्तुत भवन मानचित्र पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन का संरचनात्मक विवरण आपके द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार विवरण निम्नवत है।

(क) भवन का संरचना:—प्रश्नगत भवन का कुल प्लाट एरिया—१२१९०.०० वर्गमीटर है।

कालेज ब्लाकः—

- प्रश्नगत भवन का ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया—१५२६.३५ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का फस्ट फ्लोर कवर्ड एरिया— १४५४.१८ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का सेकेन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया— १४५४.१८ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का थर्ड फ्लोर कवर्ड एरिया— १४५४.१८ वर्गमीटर।

हास्पिटल ब्लाकः—

- प्रश्नगत भवन का ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया—१३७३.८४ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का फस्ट फ्लोर कवर्ड एरिया— १३००.४५ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का सेकेन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया— १३००.४५ वर्गमीटर।
- प्रश्नगत भवन का थर्ड फ्लोर कवर्ड एरिया— ९२७.७७ वर्गमीटर।

(ख) भवन का अधिभोग श्रेणी:—

प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भवन एन०बी०सी० के शैक्षिक एवं इन्स्टीट्यूशनल भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

(ग) ढाँचागत व्यवस्थायें:—

- पहुँचमार्ग:—प्रश्नगत भवन बहराइच—लखनऊ मुख्य मार्ग टिकोरा मोड, सीतापुर रोड से अन्दर की तरफ ग्राम—सबलापुर एवं ग्राम—चेतरा जाने वाली लिंक मार्ग पर जनपद—बहराइच में स्थित है, जहाँ अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँचकर अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते हैं।
- सेटबैक:—प्रश्नगत भवन के चारों तरफ अग्निशमन के वाहनों के आवागमन हेतु ६.०—६.० मीटर मोर्टेबुल सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा, जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाय।
- ऊँचाई:—प्रश्नगत भवन की ऊँचाई १४.९७ मीटर है।

(घ) अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:—प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—२०१६ व उसमें संदर्भित का सुसंगत मानकों के अनुसार प्रस्तावित की जाती है।

१-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशरों का आई०एस०—२१९० के अनुसार ए०बी०सी०/सी०ओ०ट० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

२-प्रश्नगत भवन में मानक के अनुसार होजरील स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

३-प्रश्नगत भवन में वेटराइजर मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

४-प्रश्नगत भवन परिसर में मानक के अनुसार यार्ड हाइरेंन्ट स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

(2)

5-प्रश्नगत भवन के हास्पिटल ब्लाक में भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

6-प्रश्नगत भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम स्थापित किया जाना वांछनीय है ।

7-प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम स्थापित किया जाना वांछनीय है ।

8-अग्निशमन कार्य हेतु 150000 लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड टैंक वांछनीय है ।

9-अग्निशमन कार्य हेतु 10000 लीटर क्षमता का टेरेस टैंक स्थापित किया जाना वांछनीय है ।

10-पम्प हाउस में एक इलेक्ट्रिक तथा एक डीजल पम्प क्षमता 1620 लीटर प्रति मिनट तथा एक इलेक्ट्रिक जाकी पम्प 180 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का स्थापित किया जाना वांछनीय है ।

11-स्टेयर केस:-प्रश्नगत भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 2.00 मीटर तथा रैम्प की चौड़ाई 2.00 मीटर रखा जाना मानचित्र में दर्शाया गया है जो मानक के अनुरूप है ।

12-एग्जिट साइनेज:-भवन में एविजिट साइनेज स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

13-पी०ए० सिस्टम:-भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

14-अन्य अभ्युक्तिः-(ए) समय—समय पर लागू नियम व उपनियमों का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कर अग्निशमन विभाग से पुनः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

  
(आर०ए० त्रिपाठी) २५/८/११  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोण्डा

लिंक अधिकारी बहराइच

(आर० एस० त्रिपाठी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोण्डा